प्रेषक,

अर्थ नियन्त्रक एंव सचिव,
प्रबन्ध मण्डल,
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एंव प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, कानपुर -2

सेवा में,

1- कुलपति, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एंव प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर-2 - अध्यक्ष

2- पदमश्री रानी लीला राम कुमार भार्गव, भूतपूर्व सदस्य विधान परिषद, नेवल किशोर इस्टेट, हजरतगंज, लखनऊ। - सदस्य

3- प्रमुख सचिव (वित्त), उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ। - सदस्य

4- प्रमुख सचिव, (कृषि), उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ। - सदस्य

5- सचिव, (उच्चशिक्षा), उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ। - सदस्य

6- कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ। - सदस्य

7- निदेशक पशुपालन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। - सदस्य

8- डा०एस०सी०जैन, सहायक महानिदेशक (ए०पी०डी०), आई०सी०ए०आर०, कृषि अनुसंधान भवन, पूसा, नई दिल्ली। - सदस्य

9- डा०किरन सिंह, सहायक महानिदेशक, (ए०एस०), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली। - सदस्य

10- चौ०विक्रम सिंह, भूतपूर्व विधायक, सैदपुर, बुलन्दशहर। - सदस्य

11- श्री अतर सिंह, ग्राम-बजराहाट, पोस्ट-हरदोई, जिला-इटावा। - सदस्य

12- श्री सजय डालमिया, 9-तीस जनवरी मार्ग, नई दिल्ली। - सदस्य

13-श्री सुखराम सिंह, सदस्य विधान परिषद, 268, एच०आई०जी०, रतनलाल नगर, कानपुर। - सदस्य

14-श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह, कचौसी बाजार, इटावा। - सदस्य

15-श्री राम स्वरुप वर्मा, 4ए, विश्वम्भर बिल्डिंग, पार्क रोड, लखनऊ। - सदस्य

संख्या: सी एसयूपी-सी- /बोर्ड-88 दिनांक: नवम्बर , 1992

महोदय,

आपकी सेवा में दिनांक 7-11-92 को पशुचिकित्सा विज्ञान एंव पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा में सम्पन्न हुयी प्रबन्ध मण्डल की बैठक की कार्यवाही सूचनार्थ प्रेषित है।

भवदीय,

(सुन्दर लाल)
अर्थ नियन्त्रक एंव सचिव
प्रबन्ध मण्डल

16

चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्यागिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की 88 वीं बैठक की कार्यवाही ।

स्थान	:	पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा
तिथि	:	7 नवम्बर, 1992
समय	:	11.00 बजे पूर्वान्ह

उपस्थिति :

1- डा० उदय बीर सिंह, कुलपति	अध्यक्ष
2-पदमश्री रानीलीला राम कुमार भार्गव,	सदस्य
3- राजीव चन्द्र, संयुक्त सचिव कृषि	कृषि सचिव के प्रतिनिधि
4- श्रीमती राधारतूड़ी, संयुक्त सचिव वित्त,	प्रमुख सचिव वित्त के प्रतिनिधि
5- डा० किरन सिंह, सहायक महा निदेशक [एएस0]	सदस्य
6- चौधरी विक्रम सिंह, बुलन्द शहर	सदस्य
7- श्री अतर सिंह यादव, इटावा	सदस्य
8- श्री सुखराम सिंह, [एम0एल0सी0]	सदस्य
9- श्री सुन्दर लाल, अर्थ नियंत्रक	सचिव

88: 1- प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 1.10.1992 को सम्पन्न हुई बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन ।

प्रबन्ध मण्डल ने 1.10.92 को सम्पन्न हुई बैठक की कार्यवाही निम्न संशोधन एवं निर्देश के साथ अनुमोदित कर दी :-

मद 86:11 [एस-6]

प्रबन्ध मण्डल ने निर्देश दिया कि इस प्रकरण पर त्वरित कार्यवाही करके अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।

मद सं0:87:7

प्रबन्ध मण्डल ने उक्त प्रस्ताव में निहित तीनो पदों के लिये अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की थी । कार्यवाही अनुमोदन के समय प्रबन्ध मण्डल ने निर्णय लिया कि अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष केवल सहायक रजिस्ट्रार के पद के लिये होगी ।

88: 2- बुन्देलखण्ड के अन्तर्गत भरारी [झांसी] में एग्रीकल्चरल एक्सपेरीमेन्ट स्टैशन की स्थापना ।

प्रबन्ध मण्डल ने उक्त प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन प्रदान किया ।

88: 3- डा० एच0बी0 द्विवेदी, डा० विष्णु प्रसाद, डा० एम0पी0 आजाद एवं डा० पी0एस0 केन्दुरकर को विश्वविद्यालय की सेवा में संविलियन की तिथि से राज्य सरकार के रू0 550-1200 वेतमनामन वाले शिक्षकों की भांति यू0जी0सी0 वेतनमान रू0 1200-1900 दिये जाने के प्रस्ताव पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने निर्णय लिया कि इस प्रकरण को शासन को संदर्भित कर दिया जाय ।

88:4 डा० जगवीर सिंह सिन्धू के धारणाधिकार सुरक्षित रखने के प्रकरण पर प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 19.7.92 के मद संख्या 86:2 पर हुये निर्णय पर पुनर्विचार का प्रस्ताव ।

प्रबन्ध मण्डल ने विचारोपरान्त डा० सिन्धू के प्रत्यावेदन को निरस्त कर दिया ।

88:5 डा० ए०एस०करखी, वैज्ञानिक (एस-1)/जूनियर साइंटिस्ट को दिनांक 5.10.1992 से डेढ़ वर्ष का अतिरिक्त धारणाधिकार सुरक्षित रखे जाने के प्रस्ताव पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने विचारोपरान्त प्रस्ताव निरस्त कर दिया ।

88:6 विश्वविद्यालय में यू०जी०सी० वेतनमान पाने वाले समस्त शिक्षकों को अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा अनुमन्य कराये जाने का प्रस्ताव ।

प्रबन्ध मण्डल ने निर्देश दिया कि प्रस्ताव शासन को भेज दिया जाय ।

88:7 डा० आर०पी० सिंह, सीनियर फार्म मैनेजर (भूतपूर्व) मथुरा से आफिसर्स गेस्ट हाउस का बकाया किराया रू० 20,465/- वसूल न करने के प्रस्ताव पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने उक्त प्रकरण में जानना चाहा कि क्या डा० सिंह को आफिसर्स गेस्ट हाउस उक्त अवधि में नियमानुसार आवंटित किया गया था ? साथ ही निर्देश दिया कि इस प्रकरण को कार्यालय की आख्या के साथ अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।

88:8 डा० शमीम अहमद खाँ, सह-प्राध्यापक, एग्रो-फारेस्ट्री के निलम्बन के सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल द्वारा नियुक्त जाँच अधिकारी की आख्या पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने जाँच अधिकारी की आख्या पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि डा० शमीम अहमद खाँ, सह-प्राध्यापक, एग्रो-फारेस्ट्री की सेवायें समाप्त कर दी जाय ।

88:9 अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रस्तावों पर विचार ।

पू०-1 दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि हेतु प्रस्ताव पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने वित्त उप समिति द्वारा संस्तुत दूध एवं दुग्ध पदार्थों के मूल्यों को अनुमोदित कर दिया ।

पू०-2 वैज्ञानिकों/कर्मचारियों को झांसी से भरारी जाने पर जाने आने हेतु रू० 30/- (रूपये तीस मात्र) की दर से बढ़ाकर रू० 50/- (रूपये पचास मात्र) प्रति वैज्ञानिकों/कर्मचारियों की प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदन ।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया ।

पू०-3 डा० बी०एस० बैस, सह-प्राध्यापक, पादप रोग विज्ञान विभाग की चिकित्सा पर हुये व्यय की प्रति-पूर्ति के भुगतान पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया ।

पू0:4 **विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों को परिचालन द्वारा प्रस्ताव भेजने की अनुमति।**

इस प्रकरण पर प्रबन्ध मण्डल ने निर्देश दिया कि प्रदेश के अन्य दो कृषि विश्वविद्यालयों में क्या परम्परा है? इसकी जानकारी कर ली जाय तद्पश्चात अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

पू0:5 **राजकीय सेवा से त्यागपत्र देकर विश्वविद्यालय की सेवा में संविलीन सर्वश्री आर0गुरनामी एवं भगत प्रकाश, आर्टिस्ट को वैयक्तिक रूप से प्रोन्नति वेतनमान रू0 2200-4000 स्वीकृति किया जाना।**

प्रबन्ध मण्डल ने निर्देश दिया कि इस प्रकरण को वित्त उपसमिति में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

पू0:6 **वित्त उपसमिति की बैठक दिनांक 26.8.92 की कार्यवाही का अनुमोदन।**

प्रबन्ध मण्डल को वित्त उपसमिति की कार्यवाही से अवगत कराया गया कार्यवाही में निहित मद संख्या 2,3,4, तथा पू0 मद संख्या 2 पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा निर्णय लिया जा चुका था। शेष मदों की कार्यवाही प्रबन्ध मण्डल ने अनुमोदित कर दी।

पू0:7 **वित्त उपसमिति की बैठक दिनांक 21.10.92 की कार्यवाही का अनुमोदन।**

प्रबन्ध मण्डल ने वित्त उपसमिति की बैठक की कार्यवाही अनुमोदित की।

पू0:8 **डा00अख्तर अली, एसोसिएट प्रोफेसर एग्रोनोमी, एन0एस0आर0पी0, दिलीपनगर का दिनांक 31.10.92 के अपरान्ह से त्याग पत्र स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव।**

प्रबन्ध मण्डल ने डा0 अख्तर अली, सह-प्राध्यापक, एग्रोनोमी (नार्प) का दिनांक 31.10.92 के अपरान्ह से त्याग पत्र स्वीकृत कर दिया।

पू0:9 **चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में प्राध्यापक एवं अध्यक्ष का पद नाम के स्थान पर प्राध्यापक पद का अनुमोदन।**

प्रबन्ध मण्डल ने उक्त प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृत प्रदान की।

पू0:10 **विश्वविद्यालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा पास है को कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति किये जाने के प्रस्ताव पर विचार।**

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया।

क्रमशः:

बैठक में माननीय सदस्य चौधरी विक्रम सिंह द्वारा गणतंत्र दिवस परेड पर अश्व प्रदर्शन में भाग लेने वाले छात्रों का एक पत्र प्रस्तुत किया गया (प्रतिलिपि संलग्न) तथा प्रबन्ध मण्डल से अनुरोध किया कि इन छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा रूपया 500/-(पांच सौ) का पारितोषिक दिया जाय।

प्रबन्ध मण्डल ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि इनमें जो महाविद्यालय के छात्र है उन्हें विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में प्रत्येक छात्र को 500/- मूल्य का पारितोषिक (मेडल आदि) प्रदान किया जाय।

अध्यक्ष द्वारा प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रोफेसर वी०पी० सिंह का दिनांक 5.11.92 का पत्र भी प्रस्तुत किया गया (छाया प्रति संलग्न) इस पत्र पर प्रबन्ध मण्डल ने निर्णय दिया कि कुलपति इस पर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही करें।

12/11/92
अर्थ नियंत्रक एवं सचिव
प्रबन्ध मण्डल

अनुमोदित

कुलपति एवं अध्यक्ष
प्रबन्ध मण्डल